

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/अजमेर/डी-8-28705/2025/ 116
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
टोंक/जयपुर-द्वितीय।

दिनांक:- 10/3/2025

विषय:- श्री दिनेश कुमार वर्मा, नर्सिंग अधिकारी के बकाया वेतन प्रकरण में।
संदर्भ:- मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक 1033 दिनांक 30.12.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री दिनेश कुमार वर्मा, नर्सिंग अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलमण्डा, खण्ड मालपुरा, टोंक के दिनांक 30.09.2022 से 05.10.2023 तक की अवधि का वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में प्रस्ताव भिजवाये गये थे, उक्त प्रस्ताव में निम्नानुसार बिन्दुवार वस्तुस्थिति/दस्तावेज सलंगन नहीं किये गये हैं:-

1. कार्मिक के दिनांक 06.09.2022 से दिनांक 07.09.2022 तक 02 दिवस के चिकित्सकीय अवकाश के स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण रहे? एवं दिनांक 08.09.2022 को सीएचसी बडवा जयपुर हेतु कार्यमुक्त करने के पश्चात दिनांक 29.09.2022 तक की उपस्थिति के सम्बन्ध में अवगत नहीं कराया गया।
2. कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आदेश क्रमांक 438 दिनांक 22.06.2024 के द्वारा कार्मिक को अधिशेष होने के कारण अग्रिम पदस्थापन हेतु निदेशालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने के पश्चात् दिनांक 23.06.2023 से 11.07.2023 तक चिकित्सकीय अवकाश का उपभोग करने सम्बन्धी दस्तावेज/प्रमाण सलंगन नहीं किये गये हैं।
3. निदेशालय के आदेश क्रमांक 355 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा कार्मिक का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय टोंक में किया गया जिसकी पालना में कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण करने एवं दिनांक 11.09.2023 से 05.10.2023 तक चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृति आदेश की प्रति सलंगन नहीं है।
4. निदेशालय के संशोधित स्थानांतरण आदेश क्रमांक 376 दिनांक 05.10.2023 की प्रति सलंगन नहीं की गई है।
5. कार्मिक के दिनांक 23.11.2022 को सीएमएचओ टोंक कार्यालय में उपस्थिति देने के पश्चात कार्मिक के जनवरी 2023 का वेतन आहरण सीएचसी बडवा जयपुर द्वारा किस आधार पर आहरण किया गया।
अतः उपरोक्त बिन्दुवार आक्षेप की पूर्ति करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/अजमेर/डी-8-28705/2025/ 116
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 10/3/2025

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-अजमेर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडवा, जयपुर।
3. सम्बन्धित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल के द्वारा सूचनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :08-03-2025 03:51:09